Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.09, April, 2024**
(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

Knowledgeable Research
ISSN 2583-6633
Vol.02, No.09, April, 2024
http://knowledgeableresearch.com/

अपराधियों का बदला मुखौटा, नारी अस्मिता की चुनौती

[1]डा0 संजीव गंगवार एवं [2]डॉ राजीव शुक्ला
[1]सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, फर्रूखाबाद
[2] अर्थशास्त्री, द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
Email: sanjeevgangwar827@gmail.com

****

शोध सार:- *प्रस्तुत शोध पत्र किशोर न्याय बोर्ड, फर्रूखाबाद के 2005 से 2023 तक के दर्ज हुये प्रकरणों की बदलती प्रकृति पर आधारित है अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों की प्रवृत्ति के आधार पर शोध पत्र का शीर्षक नामित किया गया है, जिसमें शोध पत्र का उद्देश्य अपराधियों की बदली प्रवृत्ति और नारी अस्मिता की चुनौतियों के अध्ययन के साथ सहायक उद्देश्य में महिला शिक्षा तथा मोबाइल जगत का अपराध पर पड़ने वाला प्रभाव के सकारात्मक व नकारात्मत दोनों पहलुओं को आंकने का प्रयास किया गया है।*

सूचक शब्द- *किशोर न्याय बोर्ड/अपराध/महिला शिक्षा/सोशल मीडिया/मोबाइल जगत/साइबर अपराध/पाक्सो एक्ट/फौजदारी/डकैती कोर्ट/फेमिली कोर्ट/समझौता केन्द्र/नारी अस्मिता*

****

अध्ययन की प्रेरणा:- शोध पत्र लिखने की प्रेरणा शोधार्थी के द्वारा न्यायिक क्षेत्र में पिछले 08 साल के अनुभव के उपरान्त देखा गया कि जैसे-जैसे महिलाओं की शिक्षा व स्वावलम्बन में विकास होता जा रहा है वैसे-वैसे अपराध के स्वरूपों में में बदलाव देखने को मिल रहा है। कोर्ट कचहरी की भीड़-भाड़ कुछ कोर्टो में जैसे-फौजदारी, डकैती, सिविल आदि में कम होती दिख रही है वहीं फेमिली कोर्ट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समझौता केन्द्रों पर भीड़-भाड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है जबकि पा◌ॅक्सो कोर्ट की स्थिति अन्य के अपेक्षा बढ़ी हुई प्रतीत होती है इस स्थिति की जिज्ञासा को जानने हेतु किशोर न्याय बोर्ड फर्रूखाबाद के प्रकरणों को आधार मानकर शोध पत्र में अपराधियों की बदलती हुयी प्रकृति को जानने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन की समस्या:- बदलते दौर में समाज में बहुत कुछ बदला है इस बदलाव के दौर में कुछ अच्छा व कुछ बुरा दौर आया जिसमें नारी अस्मिता की बदली सामाजिक मूल्यों के दौर में एक नयी चुनौती लेकर आया। एक युग था कि गैर सामाजिक तत्वों का सामाज में उनकी पहचान अपराधी, हत्यारा, डाकू, क्रूर व चोर आदि नामों से जानी जाती थी। किन्तु इसके बावजूद भी भारत के तमाम डाकू व अपराधियों की पहचान नैतिक व चारित्रिक रूप से महिलाओं के सम्मान करने वालों में जानी जाती थी। भारत में कई अपराधियों व डाकूओं के मन्दिर बनाकर

Author Name: डा0 संजीव गंगवार एवं डॉ राजीव शुक्ला
Received Date: 17.04.2024
Publication Date: 25.04.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.09, April, 2024**
(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

उनकी स्थानीय लोगों द्वारा पूजा अर्चना भी की जाती है। पर ये सब गुजरे दौर की बाते हो गयी हैं। अब तो मताओं और बहनों जैसा शब्द सिर्फ चुनाव के मंचों तक सिमट कर रह गया है। नैतिक मूल्य हमारी पवित्र संस्कृति के आदर्श महिलाओं के प्रति सम्मानित नजरिया सब कुछ तार-तार हो गया और रही बची कसर मोबाइल के कोख से निकली शोसल मीड़िया के संस्कृति ने पूरी कर दी, जिसमें हिप्पी कल्चर व पश्चात कल्चर के चकाचैंद का इतना प्रचार-प्रसार किया कि जो हजारों वर्षा के विदेशी लुटेरे नही कर सके वह काम कुछ वर्षा में ही सोशल मीडिया ने कर के दिखा दिया, जिसके दुष्परिणाम व्यक्ति की आर्थिक इमानदारी में ही ह्रास नही हुआ बल्कि उसकी नैतिक व चारित्रिक इमानदारी अविश्वसनीय हो गयी। महिला सुरक्षा में पराम्परागत नाते दारी की व्यवस्था व सगा सम्बन्धी विश्वसनीय नही रहे। महिलायें व बच्चे बच्चिया अपने से ही खतरा महशूस करने लगे, जो कि बदले सामाजिक दौर की नारी अस्मिता की नयी चुनौती है जिसके लिये भारत सरकार स्वतन्त्रता के उपरान्त गिरते हुये नैतिक मूल्यों को देखते हुये संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लाने हेतु 42वा संशोधन 1976 व 86वा संविधान संशोधन 2002 महिलाओं के सम्मान व बच्चों की शिक्षा को शामिल किया गया तथा वर्तमान सरकार के द्वारा पिछले 22 जून 2015 से बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान चलाया जा रहा है। जिस अभियान के तहत स्कूलों में बेटियों व बच्चों को गुड टच व बैड टच का प्रशिक्षण दिये जाने के साथ उन्हें बार बार अपनों से ही सतर्क रहने की बात कही जाती रही है।

क्योंकि बदलते युग में सब कुछ बदलने के साथ अपराधियों के मुखौटे बदल गये हैं आज अपराधियों के चेहरे का स्केज बदल चुका है पूर्व में अपराधियों का स्केज खंखार चेहरा, लाल आखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछों के साथ बनाया जाता था, जिनके द्वारा अधिकांश अपराध चोरी मारपीट, डकैती, जाल साजी जैसी घटनाओं को अंजाम दे आर्थिक व सामाजिक उद्देश्य को गैर सामाजिक तरीके से पूरा कर सामाज से दूर रह जंगलों में गुमनाम जिन्दगी जीते थे। किन्तु वह परम्परागत सामाजिक व नैतिक मूल्य नही छोड़ते थे। उनमें महिलाओं के प्रति बराबर सम्मान रहता था ऐसा न करने वाले अपराधियों को अपराध जगत में भी उनकी भर्तसना की जाती थी। किन्तु आज के अपराधी आर्थिक अपराधी कम अनैतिक अपराधियों की संख्या में इजाफा हुआ है इन अनैतिक अपराधियों का मुखौटा भोला-भाला, मासूमियत पूर्ण प्रदर्शित होता है, जिनसे बचने की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि उनसे खतरा अपनों को ही होता है। जो कि अपने ही बच्चे नाबालिग बच्चिया, भोलीभाली लड़किया व परेशान महिलाओं को शिकार बनाते है। अध्ययन के आंकड़े साफ प्रदर्शित करते है कि इस प्रकार के अपराधियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिनको ग्राफ-1 व टेबिल में 2005 से लेकर 2023 तक के दर्ज हुये प्रकरणों को देखकर अपराध की बदलती प्रकृति को देखा जा सकता है। जो कि भविष्य में भारत व भारतीय संस्कृति के साथ महिला अस्मिता के लिये शुभ संकेत नही है।

Author Name: डा0 संजीव गंगवार एवं डॉ राजीव शुक्ला
Received Date: 17.04.2024
Publication Date: 25.04.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.09, April, 2024**

(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

किशोर न्याय बोर्ड, फर्रूखाबाद के सत्र 2005 से 2023 तक विभिन्न क्षेत्रों में कुल दर्ज हुये प्रकरणों की स्थिति

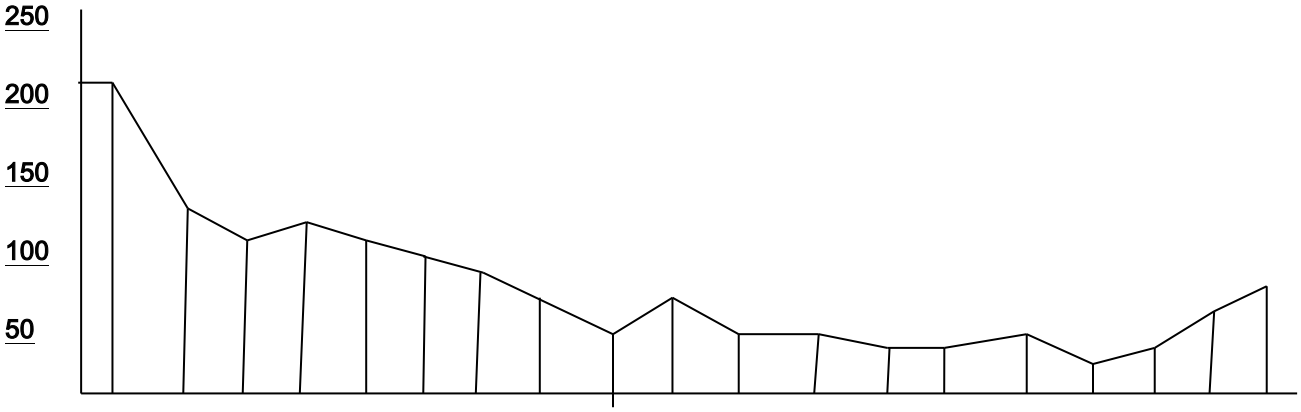

सत्रों की सं0	2005	06	07	08	09	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023
कुल प्र0सं0	201	146	123	128	115	102	98	72	71	93	70	61	52	61	75	45	53	91	93
पॉक्सो/ 376 आदि	22	20	13	21	13	10	11	08	08	20	11	17	06	26	23	08	16	24	17
प्रतिशत पॉक्सो /376	10.9	13.6	10.5	16.4	11.3	9.3	11.2	11.1	11.1	21.7	15.7	27.8	14.2	42.6	30.6	17.7	30.1	28.9	18.2

किशोर न्याय बोर्ड के 2005 से 2023 तक के सत्रों में आये कुल प्रकरणों में पाक्सो व 376 पचब आदि से सम्बन्धित प्रकरणों का सत्रवार बढ़ता ग्राफ

सत्रों की सं0	2005	06	07	08	09	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023
प्रतिशत	10.9	13.6	10.5	16.4	11.3	9.3	11.2	11.1	11.1	21.7	15.7	27.8	14.2	42.6	30.6	17.7	30.1	28.9	18.2

Author Name: डा0 संजीव गंगवार एवं डॉ राजीव शुक्ला

Received Date: 17.04.2024
Publication Date: 25.04.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.09, April, 2024**

(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

उक्त ग्राफ-1 में जो पाक्सो व छोड़खानी से सम्बन्धित के प्रकरणों का प्रतिशत दर्शाया गया है इन प्रकरणों में यह स्पष्ट करना उचित होगा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ जो घटनायें घटित हुयी हैं उनके अधिकांश सम्बन्ध अपनों से ही था। ये वही लोग थे जो अपने होने के कारण परिवार ने उनकी हरकतों पर ध्यान नही दिया। तथा उनकी छोटी-छोटी हरकतों को नजर अन्दाज किया क्यों कि भारतीय सांस्कृति मूल्यों में ऐसा कभी सोचा ही नही गया था जैसा आज हो रहा है। आज अपनों की यह हरकतें व बदले अपराधियों के चेहरे को देखकर लाम्ब्रोसो कि वह अभिधारणा याद आ गयी कि उसने अपराध शास्त्र में कहा था कि अपराधी भोले-भाले चेहरे के होते हैं। अभी तक तो यह लगता था कि यह सब गलत कहा गया था शायद भारतीय परिवेश के अपराधियों में यह गुण नही था। किन्तु बदलते सामाजिक परिवेश में अपराधियों पर यह उक्त अवधारणा सटीक बैठ रही है। इन सब को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप के घर में बैठा कोई भी भोला भाला चेहरा आपके बच्चों व महिलाओं के लिये भेड़िया हो सकता है। इसलिए ऐसे चेहरों से समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

सत्र 2005 से 2023 तक फौजदारी, डकैती, हत्या, चोरी आदि के प्रकरणों की स्थिति

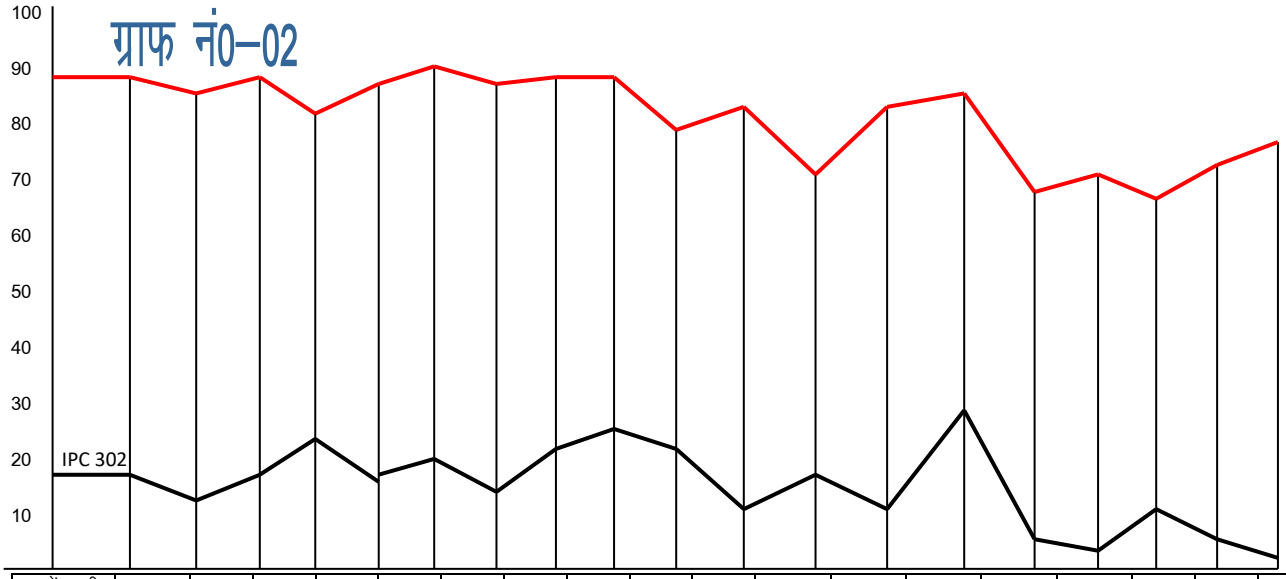

सत्रों की सं0	2005	06	07	08	09	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023
फौज0, डकै0, आई0टी, चोरी आदि	**179**	**126**	**110**	**107**	**102**	**97**	**87**	**64**	**63**	**73**	**59**	**44**	**36**	**35**	**52**	**37**	**37**	**67**	**76**
प्रतिशत	89.9	86.4	89.9	83.6	88.7	90.7	88.8	88.9	88.9	78.3	84.3	72.2	85.8	87.4	69.9	71.1	69.9	71.9	81.8
IPC 302 हत्या	**34**	**14**	**18**	**24**	**15**	**16**	**10**	**14**	**16**	**16**	**08**	**08**	**05**	**12**	**04**	**01**	**05**	**03**	**01**
प्रतिशत	15.9	11.1	16.3	22.4	14.7	16.4	11.4	21.8	25.3	21.9	13.5	18.1	13.8	34.2	7.6	2.7	13.5	4.4	1.3

Author Name: डा0 संजीव गंगवार एवं डॉ राजीव शुक्ला

Received Date: 17.04.2024
Publication Date: 25.04.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.09, April, 2024**
(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

नोट:- ग्राफ नं0-1 लड़कियों से छेड़खानी का ग्राफ समाज की सच्चाई से काफी कम प्रदर्शित हो रहा है। क्यों कि आज भी भारतीय समाज में काफी पीड़ितायें लोक लाज के कारण केस दर्ज नही कराती हैं। जबकि ग्राफ नं0-02 के प्रकरण अपराध के प्रकृति को देखते हुये काफी ऊपर प्रदर्शित हो रहे हैं फौजदारी व डकैती तथा चोरी आदि सत्र 2016 के उपरान्त के प्रकरण प्रकृति के आधार पर एक बहुत बड़ा प्रतिशत अतिसामान्य स्थिति का है, जिन्हें देखकर यह सिद्ध होता है कि समाज में अपराध के बादल छटने लगे हैं। कहने के लिये फौजदारी, चोरी, डकैती आई0पी0सी0 धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं किन्तु इनमें बहुत बड़ी प्रकरणों की संख्या मूल्य के आधार पर 100 रू0 से लेकर 20000 रू0 तक व गौली गलौज तथा छोटी मोटी झड़प तक सीमित हुये मामले हैं। प्रकरणों की प्रकृति को देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस को टार्च लेकर उन प्रकरणों को केस का नाम देना पड़ रहा है जिनको पूर्व में कभी नजरअन्दाज कर दिया जाता था।

महिला शिक्षा में वृद्धि और अपराध मुक्ति ओर बढता समाज।

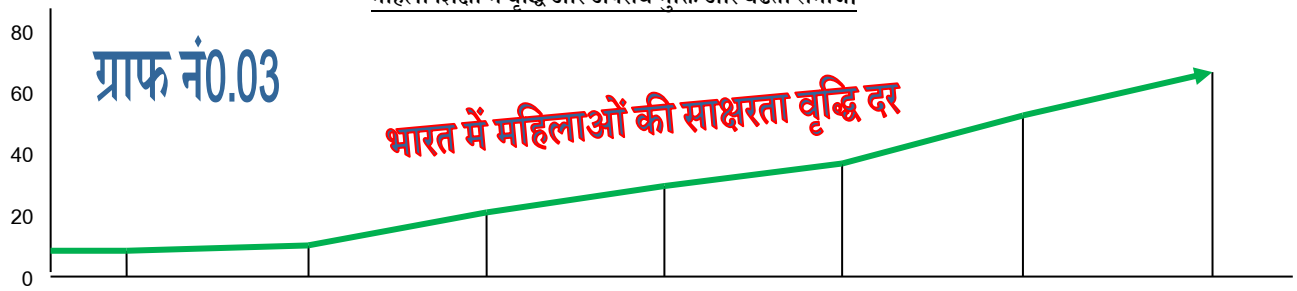

प्रतिशत	8.86	15.35	21.97	29.76	39.21	53.66	65.46
वर्ष	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011

1951 से 2011 **तक भारत में महिलाओं की साक्षरता वृद्धि दर स्त्रोत जनगणना रिपोर्ट**

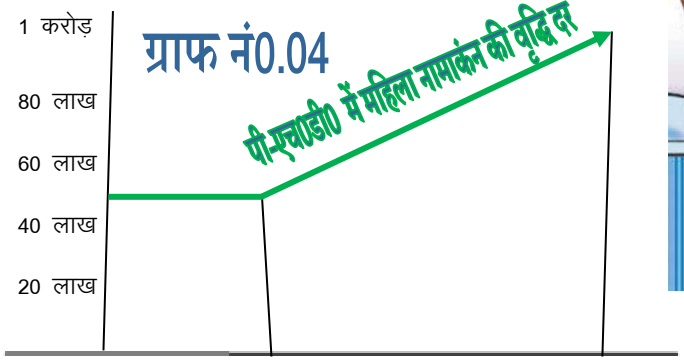

सत्र 2014 – 2015	सत्र 2021 – 2022
48 लाख	99 लाख

Author Name: डा0 संजीव गंगवार एवं डॉ राजीव शुक्ला
Received Date: 17.04.2024
Publication Date: 25.04.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.09, April, 2024**

(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

स्त्रोत एआईएसएचई के 27 जनवरी 2024 की जारी रिपोर्ट *पी–एच0डी0 में महिला नामाकंन की वृद्धि दर*

अध्य्यन के सभी तथ्यों के ग्राफ की स्थिति के विश्लेषण के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि ग्राफ नं0.1 की अपेक्षा ग्राफ नं0.02 के प्रकरण मारपीट,फौजदारी,डकैती, चोरी और हत्या से सम्बन्धित प्रकरणों का जो स्तर हैए जिनको देखकर यह स्पष्ट होता है कि ग्राफ नं0.2 व 5 दोनों की स्थिति में हत्या (302 आई0पी0सी0द्धके प्रकरणों में कमी आयी है इससे सिद्ध होता है कि समाज में हिंसक अपराधों में गिरावट आयी है जो कि सभ्य समाज कि लिये शुभ संकेत हैं। वही ग्राफ नं0.3 भारत की जनगणना रिपोर्ट के स्त्रोत से प्राप्त आंकडे सिद्ध करते है कि 1951 से 2011 महिला शिक्षा वृद्धि के ग्राफ को निरन्तर ऊपर उठाती है। और इसी के परिणाम ग्राफ नं0.4 पी-एच0डी0 में 2014.15 जहा महिलाओं के नामंकन 48 लाख प्रदर्शित करता है वही 2021.22 में 99 लाख ग्राफ को पहुचाता है। इससे सिद्ध होता है कि महिलाओं ने मोबाइल व इन्टरनेट को सद्पयोग करना सीख लिया है तभी शिक्षा मंत्रालय ने माना है कि ''पिछले 08 वर्षा में पुरूषों से ज्यादा महिलाओं ने उच्च शिक्षा में दाखिला लिया है।'' इसी का परिणाम है कि महिला शिक्षा की वृद्धि के साथ साथ समाज में हत्या करने की मनोवृत्ति पर अंकुश लगा है। ग्राफ नं0.5 जिसमें 2005 में हत्या के 34 मामले दर्ज करता है वहीं महिला शिक्षा की वृद्धि के साथ साथ सत्र 2023 में मात्र 01 प्रकरण पर आकर ग्राफ ठहर जाता है। यह एक प्रकरण भी प्रकृति के आधार पर 302 पाक्सो के साथ आई0पी0सी0 302 से जुड़ा प्रकरण था। वर्तमान परिवेक्ष में ऐसे अपराधियों को विक्षिप्त अपराधी कहेंगे तो गलत नही होगा। जब कि अपराधियों से बचने की चुनौती शोध पत्र के शीर्षक से लेकर सम्पूर्ण शोध पत्र में बार-बार कही गयी है।

सत्र 2005 से लेकर 2023 तक के आई0पी0सी0 302 के तहत प्रकरणों की स्थिति

सत्रों की सं0	2005	06	07	08	09	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023
IPC 302 हत्या	34	14	18	24	15	16	10	14	16	16	08	08	05	12	04	01	05	03	01
प्रतिशत	15.9	11.1	16.3	22.4	14.7	16.4	11.4	21.8	25.3	21.9	13.5	18.1	13.8	34.2	7.6	2.7	13.5	4.4	1.3

किन्तु यह भी सत्य है कि मोबाइल जगत की दुनिया में सब कुछ गलत नही हुआ इस दुनिया ने जहा एक तरफ हमारे आदर्श मूल्यों ह्रास किया है वहीं महिला सशक्तिकरण व महिलाओं को दुनिया के आम जन जीवन से परिचत करा उन्हे सशक्त बनाने की प्रेरणा प्रदान की। जिससे सायद हमारे पुराने आदर्श मूल्य उन्हें वंचित करते थे तथा समाज के पुरूष इस दलील के साथ कि दुनिया बहुत बड़ी है महिलाओं को इसका ज्ञान नही है इस आधार पर उन्हे समाज में एक हासिये पर रखकर तौला जाता था तथा किसी भी सामाजिक हस्तक्षेप में महिलाओं को दखल देने का अधिकार नही होता था। इसी से दुखित होकर सिमोन द बुआ ने महिलाओं के सन्दर्भ में कहा था स्त्रीया बनाई जाती है पैदा नही होती। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चतुर्थापूर्ण समाजीकरण में स्त्रीयों को हासिये पर ढकेल दिया जाता था। उन्होने आगे कहा कि महिलायें जितना सम्मानित जज व मजिस्ट्रेटों से पिटती है उतना साधारण मजदूर पुरषों से नही। ''किन्तु बदले दौर में स्त्री का समाजिक प्रशिक्षण व सुरक्षा

Author Name: डा0 संजीव गंगवार एवं डॉ राजीव शुक्ला

Received Date: 17.04.2024
Publication Date: 25.04.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.09, April, 2024**
(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

की गारन्टी मानव से मोबाइल के हाथ में पहुच गयी है। जिसने उन्हे हजारों वर्षा की सास्कृतिक बेड़ियों से निकालकर सोशल मीडियाए इस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप्प, मोबाइल बैंकिंग आदि ऐप्पो के माध्यम से उनमें ज्ञान की क्रान्ति भर दी। आनलाइन क्लासेस के परिणाम स्वरूप जहा भारतीय पुरूष प्रधान समाज लड़को को कोचिंग सेन्टर भेज कम्पटीशन देने का अवसर प्रदान करता था वही मोबाइल के माध्यम से आन लाइन क्लोसेस ले लडकिया व घर की महिलायें पर्दे की आड़ में रहकर हर कम्पटीशन को मात दे रही है। इसी का परिणाम है कि 2015 के बाद जैसे-जैसे इन्ड्राइड मोबाइल की पकड आम महिलाओं के जीवन में बड़ी वैसे-वैसे महिलाओं ने हर क्षेत्र में पुरूषों को मात दे महिला शक्ति का परचम लहराना शुरू कर दिया। मोबाइल ने पुरूषों के चतुरीर्य ढ़ंग की संस्कृति से अवगत करा भारतीय महिलाओं को उनकी शक्ति से परिचित करा दिया है। आज भले ही महिलाओं को सामाजिक मूल्यों के ह्रास के परिणाम स्वरूप अपनों से खतरा बड़ा हो पर बाहरी सामाजिक जन-जीवन से खतरा कम हुआ है। मोबाइल एप्प जहा उनका ज्ञान वर्धन करता है वही उन्हें बाहरी खतरों से बचने का आत्मविश्वास भी पैदा करता है। यह कहना अतिशयोक्त नही होगा कि मोबाइल क्रान्ति महिलाओं के सर्वागीण विकास में रामबाण साबित हुई है। पिछले 08 वर्षा में महिलाओं के आत्मविश्वास का परिणाम ही है कि सामाजिक जन-जीवन में अपनी दखल देना शुरू कर दिया है। आज परिवारों में पढ़ी-लिखी महिलायें जिसमें आर्थिक स्वालम्बी महिलाओं की संख्या में जो इजाफा हुआ है उससे परिवारों में बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के साथ परिवारिक निर्णय में महिलाओं की राय को स्वीकार के साथ प्राथमिकता दी जाने लगी है। इसी का परिणाम है कि शिक्षित महिलाओं के द्वारा जो नई पीढ़ी उभर के सामने आई है वह भले ही बेरोजगारी की समस्या से तृप्त हो किन्तु उसके अन्दर आक्रामक रवैईये में सुधार हुआ है। क्योंकि कोई पढ़ी लिखी मां अपने बच्चे को गलत रास्ते पर भेजने से रोकती है। इसी का परिणाम है कि पिछले 07.08 वर्षा से दिन पर दिन न्यायालयों में डकैती कोर्ट, फौजदारी, सिविल जैसे कोर्ट में भीड़ लगना कम हुआ है इसके विपरीत फेमिली कोर्ट व सुलाह केन्द्रों पर भीड़ बड़ी है, जो कि समाजशास्त्रीय द्रष्टि से महिला सशक्तिकरण का एक शुभ संकेत है। क्योंकि इन कोर्टों में महिलायें अपने हक व बच्चों के अधिकार के लिये भीड़ते हुये देखी जा सकती है। इन न्यायालयों व केन्द्रों में सामाज की प्रथम शिक्षिका दारू व दहेज का खुल कर विरोध कर अपने व अपने बच्चों के लिये अधिकार मांगती है। वहीं इन केन्द्रों पर पुरूष वर्ग दारू व दहेज को लेकर सामंजस्य की बात करता हुआ इन सब करतूतों के लिये मोबाइल जगत को कोसता है और समझौते नामें पर अकसर मोबाइल को महिलाओं से दूर रखने की शर्त को प्राथमिकता से लिखाता है। इन सबको देखते हुये यह सिद्व होता है कि मोबाइल जगत ने महिला अस्मिता के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने में मोबाइल ने एक सराहनीय कार्य किया है और उसे अपनी एक नई शक्ति दे समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा किया है।

निष्कार्ष:- शोध पत्र का उद्देश्य अपराधियों की बदली प्रवृत्ति और नारी अस्मिता की चुनौतियों के अध्य्यन के साथ सहायक उद्देश्य में महिला शिक्षा तथा मोबाइल जगत का अपराध पर पड़ने वाला प्रभाव के अध्य्यन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में अपराध की बदलती प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप समाज में नैतिक मूल्यों के ह्रास ने नारी अस्मिता के आगे नई चुनौतिया खड़ी की हैं, जिसका सबसे बुरा प्रभाव अपनों पर विश्वास व वैयक्तिक विश्वास की ह्रासिता एक गम्भीर चुनौती बन कर आयी है, जिसने नारी अस्मिता की आगे संकट की स्थिति पैदा कर दी है। जैसा कि ग्राफ नं0.01 में देखा जा सकता है। वहीं ग्राफ नं0.02 से यह सिद्ध होता है कि नारी शिक्षा व परिवारिक व सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका हिंसक अपराध को कम कर रही है। इसी का परिणाम है कि भारतीय समाज में फौजदारी, डकैती व सिविल के प्रकरणों में गिरावट आयी हैए जिसके पीछे सरकार कि शक्त नीतिया ही नहीं बल्कि शिक्षित माताओं व बेटियों का नेतृत्व ही है कि आज हल्ला बोल जैसे संगठन कमजोर पड़ने के साथ राजनैतिक पांडालों में कुर्सिया, खाली पड़ी दिखाई देती है क्योंकि शिक्षित महिलाओं व बेटियों के द्वारा समाज की भविष्य के निम्राण की जिम्मेदारी का नेतृत्व हेतु बच्चों की देखरेख व परिवरिश की जिम्मेदारी अपने हाथों में जो ले रखी है। शोध का अॅशातीत पहलू यह भी है कि अपराधियों का बदला मुखौटा जल्द की अन्य अपराध के स्वरूपों की तरह नियन्त्रित हो जायेगा। जैसे-जैसे सोशल मीड़िया व महिला शिक्षा का प्रचार-प्रसार बढेगा वैसे वैसे महिलायें समाज में अपनी अस्मिता की पहचान को मजबूती से स्थापित कर सकेगींए क्योंकि पाक्सो जैसी घटना से घटित प्रकरण जैसा की किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज प्रकरणों से सिद्ध होता है कि पाक्सो जैसी घटना से पीड़ित परिवार अधिकांश अशिक्षित परिवारों से मिलान करने वाले हैं। जिसमें उच्च शिक्षित परिवारों के बच्चे अपवाद स्वरूप ही पाये गये हैं इसलिये सभ्य समाज के निमार्ण में महिला शिक्षा एक अनिवार्य पहलू है। महिला शिक्षा के अभाव में किसी भी सभ्य समाज की कल्पना नही की जा सकती है। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू का सत्य कहना था।
आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं।''

Author Name: डा0 संजीव गंगवार एवं डॉ राजीव शुक्ला
Received Date: 17.04.2024
Publication Date: 25.04.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.09, April, 2024**
(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

सुझाव:- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपराधियों के बदले मुखौटे से नारी अस्मिता की नई चुनौतियों से निपटने हेतु निम्न सुझाव कारगर हो सकते है-

1.बेटी बचाओं- बेटी पढ़ाओं अभियान को चैपाल व टेबलटाप अभियान से जोड़कर बच्चो व अभिभावकों को गिरते सामाजिक मूल्यों से परिचित कराया जाये।

2.अपराध नियन्त्रण में महिलाओं की उच्च शिक्षा की उपयोगिता को देखते हुये उच्च व उच्चोत्तर शिक्षा में बालिकाओं की कम से कम 50 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया जाना चाहिए।

3.शिक्षण संस्थानों में सी0सी0टी0वी0 कैंमरा आनलाइन कर अभिभावकों के मोबाइल से जोड़ा जाये।

4.संस्थानों की खिड़की व दरवाजे पारदर्शी होने चाहिये।

5.बालक व बालिकाओं की वैदिक संस्कृति के आधार पर विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष रखी जाये तथा 25 वर्ष तक देश के गरीव परिवारों के बच्चों को सरकारी तौर पर शिक्षण संस्थाओं में आवासीय शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की जायेए जिससे कि भारत फिर से शिक्षित व सभ्य अभिभावकों का देश बन सके।

6.मा0 न्यायालय में दर्ज प्रेमप्रलाप से लगे पाक्सों प्रकरणों को पाक्सो नजरिये से ही देखना चाहिये तथा नाबालिग बच्चियों को बहलाने व फुसलाने वाले आराजक तत्वों को निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत कठोर दण्ड से दण्डित किया जायेए ऐसे प्रकरणों में **(Hostile)**पक्षद्रोही की समस्या से निपटने हेतु पीड़ित पक्ष को सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिये।

7.शस्त्र लाइसेन्स देने में बेटी पढ़ाने वाले परिवारों को वरियता देनी चाहिये क्योंकि क्रोध और प्रेमप्रलाप का परिवान कमजोर को देखकर ही चढ़ता है। दोनों की साइक्लोजी डरपोक होती है। मा0 योगी जी के अपराध नियन्त्रण में बुल्डोजर प्लान ने यह बात सिद्ध कर दी है। अध्ययन के दौरान देखने में आया कि अधिकांश पीड़ित निशस्त्र व भोले-भाले संरक्षकों की बेटिया थी। शस्त्रधारी परिवारों की बेटियों के साथ अपवाद स्वरूप ही छेड़खानी होती हैए जैसे कि सिक्ख व गोरखा बेटियों के अपेक्षा भारत के अन्य वर्ग की बेटियों के साथ छेड़खानी जैसी समस्यायें ज्यादा देखने को मिलती है इसलिये उच्च शिक्षा से जुड़ी बलिकाओं कामकाजी महिलाओं को भी शस्त्र लाइसेन्स देने में वरीयता देनी चाहिये क्यों कि बदलते सामाजिक दौर में महिलाये व बालिकायें सर्विस पेशा के क्षेत्र में अपनी पकड़ जैसे-जैसे बनाती जा रही हैं वैसे-वैसे उसके साथ असुरक्षा की घटनायें आये दिन सुनने को मिल रही हैंए जिसके लिये भारत सरकार के द्वारा 23 अप्रैल 2013 को कार्यस्थल में महिला उत्पीड़न अधिनियम-2012 लागू भी किया जा चुका हैए किन्तु इसके बावजूद भी कार्यस्थल में महिलाओं के उत्पीड़न में आशातीत नियन्त्रण नही हो पा रहा है इसलिये आवश्यक है कि कामकाजी महिलाओं को स्वयं अस्त्र-शस्त्र से इजरायल माडल के आधार पर सशक्त बनाया जाये।
अन्तिम सुझाव यही है कि गिरते नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुये अभिभावक व संरक्षक घर में आने-जाने वाले लोगों से सतर्क रहें। बच्चियों की सुरक्षा व संरक्षण या तो स्वयं करे आवश्यकता पड़ने पर बच्चियों को संस्थागत संरक्षण हेल्प लाइन नम्बर 112 पुलिस 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन 1090 महिला हेल्प लाइन 1076 मुख्यमन्त्री हेल्प लाइन 1800-180-5220 यूपी महिला आयोग 101 अग्नि शमन 108 102 एम्बूलेंस 155300 नागरिक काल सेंटर 1912 बिजली हेल्प लाइन आदि नम्बरों कि मद्दत लेना सिखायें तथा इनके सिवा अन्य बाहरी नातेदारी व सगे संम्बन्धियों पर विश्वास न रखें।

इस प्रकार उक्त सुझाव शोधार्थी के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हैंए जो कि बदलती अपराधियों के प्रवृत्ति से नारी अस्मिता की रक्षा कर सकते हैं।

संदर्भ सूची-

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015
2. पाक्सों एक्टए 2012
3. किशोर न्याय बोर्डए फर्रूखाबाद से प्राप्त प्रकरणों की सूची।
4. एआईएसएचई की रिपोर्टए 27 जून 2024
5. https://navvharattimes.indiatimes.com

Author Name: डा0 संजीव गंगवार एवं डॉ राजीव शुक्ला
Received Date: 17.04.2024
Publication Date: 25.04.2024